



भारत का राजपत्र The Gazette of India

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 03] नई दिल्ली, फरवरी 21— फरवरी 27, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 2— फाल्गुन 8, 1942
No. 03] NEW DELHI, FEBRUARY 21— FEBRUARY 27, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 2— PHALGUNA 8, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2021

का.नि.आ. 4.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय (वित्त) सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाह्य) भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाह्य) समूह 'ख' पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय में (वित्त) सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाह्य) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2007 में,

(क) नियम-3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जायेंगे, अर्थात् :-

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर – उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और संगत वेतन-मैट्रिक्स में स्तर, संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्ट अनुसार होगा।”,

(ख) अनुसूची में स्तंभ (4) में - स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स (रु. 35400 – रु. 112400) में स्तर 6”

(ग) स्तंभ (12) में ,—

(क) मद (i) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(i) वेतन मैट्रिक्स (25500 – 81100 रु.) में स्तर 4 में 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा का – वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एस एस ए) और जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ व लेखा में या किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में 3 वर्षों के कार्य का अनुभव रखता हो।”

(ख) मद (i) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा:-

“(ii) (35400 – 112400 रु.) के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में रक्षा लेखा विभाग के वरिष्ठ लेखा परीक्षक”

(ग) मद (i) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी:-

“(iii) (29200 – 92300 रु.) के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 में रक्षा लेखा विभाग के लेखा परीक्षक जिन्होंने इस श्रेणी में छः वर्षों की नियमित सेवा की हो।”

[फा. सं. A-48014/1/2019-गुप.।]

अजय कुमार गौड़, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग –II, खण्ड-4, तारीख 25 अगस्त, 2007 अधिसूचना सं. का.नि. आ. 44, तारीख 9 अगस्त, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd February, 2021

S.R.O. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence(Finance) Assistant (Excluded from the Central Secretariat Service) Recruitment Rules, 2007, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Assistant (Excluded from the Central Secretariat Service) Group 'B' Posts (Amendment) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence(Finance) Assistant (Excluded from the Central Secretariat Service) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2007,-

(a) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3. **Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.”;

(b) in the Schedule, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading shall be substituted, namely :-

“Level in pay matrix
(4)
Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 to 112400)”;

(c) in column (12),-

(A) for the entries in item (i), the following entries shall be substituted, namely :-

“(i) Senior Secretariat Assistant (SSA) of Central Secretariat Clerical Services in the level 4 in the pay matrix (Rs 25500 – 81100) with ten years regular service in the grade and who have undergone training in Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training course conducted by any other training institution and possesses three years' experience in Cash, account and budget work.”

(B) for the entries in item (i), the following entries shall be substituted, namely :-

“(ii) Senior Auditors of the Defence Accounts Department in the level 6 in the pay matrix (Rs35400 – 112400).”

(C) for the entries in item (i), the following entries shall be substituted, namely :-

“(iii) Auditors of the Defence Accounts Department in the level 5 in the pay matrix (Rs 29200 – 92300) with six years regular service in the grade.”

[F.No.A-48014/1/2019-Gp.I]

AJAY KUMAR GAUR, Under Secy.

Note : The Ministry of Defence(Finance) Assistant (Excluded from the Central Secretariat Service) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2007 were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 25th August, 2007 vide notification number S.R.O. 44, dated, the 9th August, 2007.